बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक— BRRDA(HQ)-MMGSY-221/2019 ५99

/पटना, दिनांक-16·4·21

कृष्ण मोहन सिंह, उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना।

विषय :मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (सामान्य) मांग संख्या—37, मुख्य शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष—00, लघु शीर्ष—103—ग्राम विकास—उप शीर्ष—0113, मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (विपत्र कोड—37—4515001030113), मांग संख्या—37, मुख्य शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष—00, लघु शीर्ष—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष—0104, मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (विपत्र कोड—37—4515007890104) के अंतर्गत प्रत्येक योजना के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु सूची के स्तम्भ—9 में अंकित राशि का योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (सामान्य/अनुसूचित जाति) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020—21 के लिए कार्य प्रमंडल, मिनहारी, वायसी एवं अरिया के अधीन कुल—04 (चार) योजनाओं (पुल सहित पथ) के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य सहित निम्न तालिका के स्तम्भ—9 में अंकित राशि का योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

SI No.	Division	Block	Catego ry	Name of Road	Sl No of State Core Network	Length (In km)	Total Population Served	Administrative Approval Amount (In Lakhs)
1	2	4	3	5	6	7	8	9
				Part-A NH-131A (PWD Road Manihari Amdabad) to Alinagar		8.275	3054	664.670
1	Manihari	Manihari	GEN	Part-B (i) Construction of RCC Box Bridge 3 CellX6mX4m (with Approch Road 50m) at Ch:-300m	3	20.20 m		109.100
	Trial man			(ii) Construction of RCC Bridge Span 3X16.5m (with Approch Road 100m) at Ch:- 3100m		54.88 m		312.740
				(iii) Construction of RCC Bridge Span 6X18.75m (with Approch Road 100m) at Ch:- 4700m		116.20 m		671.910
					Total	8.716	3054	1758.420

SI No.	Division	Block	Catego ry	Name of Road	Sl No of State Core Network	Length (In km)	Total Population Served	Administrative Approval Amount (In Lakhs)
1	2	4	3	5	6	7	8	9
	Manihari		SC	Part-A Amdabad Bazar to Chaukiya Paharpur via Bharat Tola Part-B	3	8.532	6206	775.067
				(i) Construction of HL Bridge 4X18.75m Span (with Approch Road 200m) at Ch:-650m		81.20 m		424.662
2				(ii) Construction of HL Bridge 6X18.75m Span (with Approch Road 150m) at Ch:-5600m		121.78 m		579.516
	a Una			(iii) Construction of HL Bridge 3X14.50m Span (with Approch Road 200m) at Ch:-5900m		48.16 m		331.313
					Total	9.333	6206	2110.590
	Baisi	Baisi	SC	Part-A T05 PWD Janta Hat to Telanga Part-B (i) Construction of RCC Bridge 2X18.75m Span (with Approch Road 200m) at Ch:-250m (ii) Construction of RCC Bridge 8X24.75m Span (with Approch Road 200m) at Ch:-1200m (iii) Construction of RCC Bridge 2X16.50m Span (with Approch Road 200m) at Ch:-3300m		5.436	3063	491.921
						40.58 m		286.906
3						202.88 m		1192.227
						36.08 m		282.485
				helimist	Total	6.316	3063	2253.540
	Araria	Palasi	SC	Part-A Maaldawar to Kachmoh Ghat		3.740	2280	401.000
				Part-B (i) Construction of RCC Bridge 6X18.75m Span (with Approch Road 138.26m) at Ch:-420m (ii) Construction of RCC Bridge 2X18.75m Span (with Approch Road 99.42m) at Ch:-2720m	8	121.74 m		690.750
4						40.58 m		311.830
b			aton	(iii) Construction of RCC Bridge 2X18.75m Span (with Approch Road 119.42m) at Ch:-3820m	Total	40.58 m		315.500
					4.300	2280	1719.080	
			rr ii	Grand To		3054	1758.420	
					Total (SC) rand Total		11549 14603	6083.210 7841.630

- 2. माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री महोदय द्वारा दिनांक—24.03.2021 को निम्न शर्तों के साथ इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है:—
 - (क) इन योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
 - (ख) संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग योजनाओं के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
 - (ग) संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग स्वीकृत योजनाओं की प्रविष्टि राज्य कोर नेटवर्क के मानचित्र पर भी करना सुनिश्चित करेंगे।
 - (घ) संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत योजना किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है एवं पूर्व में इन योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गयी है।
 - (ड़) इन योजनाओं के पंचवर्षीय रख—रखाव की राशि 3054 मद् से भारित किया जायेगा।
- 3. कार्य ई-निविदा के माध्यम से Standard Bidding Document के आधार पर कराया जायेगा।
- 4. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या— BRRDA(HQ)-MMGSY-44/2013 के पृष्ठ-74 / टि० पर प्राप्त है।
- 5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री महोदय, बिहार सरकार द्वारा दिनांक—24.03.2021 को संचिका संख्या— BRRDA(HQ)-MMGSY-221/2019 के पृष्ट—77 / टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।
- 6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी०पी०आर० पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
- 7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद् की संभाव्ययता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8. (क) ब्रांडा के लिए निर्धारित प्रावधान / प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
 - (ख) कार्यपालक अभियता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं / विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें।
 - (ग) वित्त विभाग की संकल्प संख्या एम—4—53 / 2007—3758 / वि0, दिनांक—31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
 - (घ) यह राशि उसी मद में खर्च की जाएगी जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
 - (ड.) प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना स्निश्चित किया जाएगा।

(च) योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को स—समय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे। (छ) संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

9. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—BRRDA(HQ)-MMGSY-221/2019 पृष्ठ संख्या—82 / टि० पर दिनांक—07.04.202 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः BRRDA(HQ)-MMGSY-221/2019 49 /पटना, दिनांक— 16-५-21 प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग /वित्त विभाग (आय—व्यय शाखा) /आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग / संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित उप विकास आयुक्त / अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना / अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग / मुख्य अभियंता—2, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना / मुख्य अभियंता—4, ग्रामीण कार्य विभाग / संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल / संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल / संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Manager, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Con

सरकार के उप सचिव